ओउम्
डेली हिन्दी मिलाप
हैदराबाद
REGD. No. H-HD-GPO/002/2012-2014
वर्ष : 65
अंक : 37
हैदराबाद, मंगलवार, 7 फरवरी, 2012 DAILY HINDI MILAP HYDERABAD, TUESDAY, 7TH FEBRUARY, 2012 मूल्य : ₹ 3-00 (पृष्ठ 8+8)

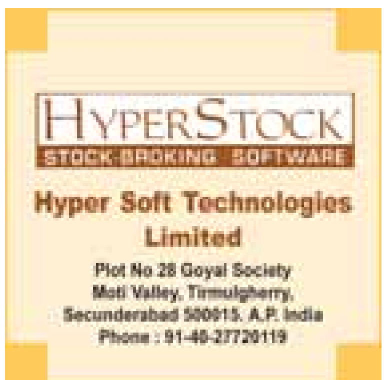

बजट सत्र 13 से

हैदराबाद, 6 फरवरी-(मिलाप ब्यूरो) आन्ध्र-प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 13 फरवरी से प्रारंभ होगा। राज्यपाल ई.एस.एल. नरसिम्हन द्वारा आज इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार, विधानसभा एवं विधान परिषद की बैठक 13 फरवरी को सुबह 9.30 बजे शुरू होगी।

मुख्य सचेतक बनेंगे वेंकटरमणा?

हैदराबाद, 6 फरवरी-(विशेष संवाददाता) मंत्रिमण्डल में 'बर्थ' न मिलने से नाराज हो चुके वरंगल जिले के विधायक जी. वेंकटरमणा रेड्डी को मनाने की कोशिशें मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने शुरू कर दी हैं। पता चला है कि विधानसभा में मुख्य सचेतक के पद पर वेंकटरमणा रेड्डी को नियुक्त करने का विचार मुख्यमंत्री कर रहे है।

मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा देकर उप-सभापति का पद्भार भट्टी विक्रामार्का द्वारा संभालने के बाद मुख्य सचेतक के पद पर किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया है। कैबिनेट मंत्री के ओहदे वाले मुख्य सचेतक पद पर वेंकटरमणा रेड्डी को नियुक्त कर उन्हें शांत करने का निर्णय किरण ने किया है। इसी तरह सचेतक के पद हेतु बालकोण्डा के विधायक अनिल, बोब्बिली के विधायक सुजय कृष्णा और नंदीकोटकूर के विधायक लब्बी वेंकटस्वामी के नामों का विचार किया जा रहा है।

गूगल ने आपत्तिजनक सामग्री हटायी

नई दिल्ली, 6 फरवरी-(भाषा) फेसबुक इंडिया ने आज दिल्ली की एक अदालत को वेबसाइट से आपत्तिजनक साग्री हटाने संबंधी उसके आदेश के अनुपालन से संबंधित रपट दी। अदालत ने फेसबुक तथा 21 अन्य वेबसाइट को आपत्तिजनक सामग्री हटाने के निर्देश दिये थे।

गूगल इंडिया ने भी अदालत से कहा कि उसने नेट पर अपनी 'साइटों' पर से उन पृष्ठों को हटा दिया है, जिसको लेकर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जतायी थी। इस बीच, फेसबुक, याहू तथा माइक्रोसॉफ्ट ने अदालत से कहा कि इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है और इस सिलसिले में उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई औचित्य नहीं है। अतिरिक्त न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने याचिकाकर्ता मुफ्ती एजाज अरशद काजमी की तरफ से मामले में पेश वकील से यह पूछा कि क्या ब्लाग पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई सामग्री या सूचना पोस्ट किये जाने से सेवा प्रदाता कंपनियों को पक्ष बनाया जा सकता है। अदालत ने गूगल से यह भी पूछा कि वह 'उपयुक्त' तरीके से जवाब के साथ क्यों नहीं आयी। अदालत ने कंपनी की इस दलील को खारिज कर दिया कि उसे फैसले तथा मामले से जुड़े अन्य दस्तावेज की प्रति शुक्रवार को मिली थी। अदालत *(शेष पृष्ठ 5 पर)*

इंटरनेट पर
http://www.webmilap.com

सूचकांक

सूचकांक में सोमवार को विभिन्न समयों पर स्थिति

बीएसई	17,707.31	102.35 ↑
एनएसई	5,361.65	35.80 ↑

किरण कुमार मंत्रिमंडल में शामिल किये गये तीन मंत्रियों - बाएँ से उत्तम कुमार रेड्डी, कोंडु मुरली तथा प्रसाद कुमार को शपथ दिलवाते हुए राज्यपाल ई. एस. एल. नरसिम्हन।

मंत्रियों के दबाव में नहीं आएँगे IAS?

हैदराबाद, 6 फरवरी-(विशेष संवाददाता) मंत्रियों के दबाव में आकर किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करने तथा जीओ जारी नहीं करने का निर्णय संभवत: आईएएस अधिकारियों ने ले लिया है। बताया तो यह भी जाता है कि इस निर्णय पर अमलावरी भी शुरू हो गयी है। विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि दो वरिष्ठ महिला आईएएस अधिकारियों ने मंत्रियों के आदेशों पर आपत्ति प्रकट करते हुए फाइलें वापस भिजवा दी है। बताया जाता है कि प्रधान सचिव का पद संभाल रहीं। चित्रा रामचंद्रन तथा वसुधा मिश्र ने मंत्रियों से प्राप्त फाइलों में उल्लेखित अंशों को गैर-कानूनी बताते हुए हस्ताक्षर से इनकार कर दिया है। उन्होंने मंत्रियों से स्पष्ट किया है कि 'आप लोगों के आदेशों का पालन कर अवैध रूप से जीओ जारी नहीं किये जा सकते।' इन महिला आईएएस अधिकारियों के कदम से आज सचिवालय में सनसनी फैल गयी।

असंतोष खुलकर सामने आया

किरण मंत्रिमंडल विस्तारित

हैदराबाद, 6 फरवरी-(विशेष संवाददाता) अपनी टीम बनाने की कसरत के तहत मुख्यमंत्री एन. किरण कुमार रेड्डी ने आज अपने मंत्रिमंडल में तीन नये चेहरों को शामिल कर लिया। राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल ई.एस.एल. नरसिम्हन ने गड्डम प्रसाद कुमार (विकाराबाद), कोंडु मुरली मोहन (राजम) तथा एन. उत्तम कुमार रेड्डी (हुजूरनगर) को मंत्री पद की शपथ दिलवायी।

देर रात आज शपथ लेने वाले मंत्रियों को विभाग भी आवंटित कर दिये गये। उत्तम को आवास निर्माण, प्रसाद कुमार कपड़ा एवं बुनकर तथा कोंडु मुरली को मेडिकल एजुकेशन तथा 104, 108 एम्बुलेंस सेवा का प्रभार सौंपा गया है। मात्र 7 मिनट में सम्पन्न होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रसाद तथा मुरली ने तेलुगु भाषा में तथा उत्तम कुमार ने अंग्रेजी में भगवान के नाम पर शपथ ली। तीन नये चेहरे शामिल होने के बाद किरण मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 41 हो गई है। शपथ ग्रहण समारोह से कई प्रमुख नेताओं, विधायकों एवं मंत्रियों के गैर-हाजिर रहने से भीतर ही भीतर पनप रहा असंतोष भी खुलकर सामने आ गया। विधानसभा अध्यक्ष नादेंड्ला मनोहर, विधान परिषद के चेयरमैन चक्रपाणी, चिरंजीवी, वित्त-मंत्री आनम रामनारायण रेड्डी, भारी उद्योग-मंत्री जे. गीता रेड्डी सहित 12 मंत्रियों, कुछ विधायकों तथा कुछ सांसदों ने समारोह में भाग नहीं लिया। उप-मुख्यमंत्री दामोदर राजनरसिम्हा, गृह-मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी, विधान परिषद सदस्य डी. श्रीनिवास, जे.सी. दिवाकर रेड्डी और दामोदर रेड्डी आदि के गैर-हाजिर रहने से कई तरह की अफवाहें उड़ीं। दूसरी ओर, मंत्रिमंडल में इस बार भी आदिलाबाद ज़िले को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। ज़िलावार देखा जाये, तो अभी भी गुण्टूर ज़िला ही *(शेष पृष्ठ 5 पर)*

पर कतरने की कसरत

मुख्यमंत्री एन. किरण कुमार रेड्डी ने मंत्रिमंडल पर अपनी छाप छोड़ने की कसरत शुरू कर दी है। पिछले कुछ दिनों से उनके लिए सिरदर्द साबित हो रहे उप-मुख्यमंत्री दामोदर राजनरसिम्हा तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा-मंत्री डी.एल. रवीन्द्रा रेड्डी के विभागों में कटौती कर मुख्यमंत्री ने इनके पर कतरने के संकेत दे दिये हैं। मुख्यमंत्री ने आज हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अपने निकटतम माने जाने वाले आवास निर्माण-मंत्री कन्ना लक्ष्मीनारायण को प्रमोशन दिया है। उप-मुख्यमंत्री से कृषि विभाग छीनकर कन्ना लक्ष्मीनारायण को सौंप दिया गया है। उप-मुख्यमंत्री को अब सिर्फ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा ही देखना होगा। आज ही शपथ लेने वाले उत्तम कुमार रेड्डी को कन्ना लक्ष्मीनारायण का आवास निर्माण विभाग *(शेष पृष्ठ 5 पर)*

2 लाख हो सकती है आयकर छूट सीमा

नई दिल्ली, 6 फरवरी-(भाषा) अगले बजट में आम नौकरीपेशा लोगों को आयकर में कुछ राहत मिल सकती है। वित्त-मंत्री आयकर छूट सीमा को मौजूदा 1.80 लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये सालाना कर सकता है।

प्रत्यक्ष कर क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने के लिये संसद में पेश प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) में भी यही व्यवस्था की गई है। इसमें दो लाख रुपये तक की सालाना आय को करमुक्त रखने और विभिन्न कर दरों की श्रेणी में आय सीमा बढ़ाई गई है।

केन्द्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के समक्ष जिस तरह की राजकोषीय दिक्कतें इस समय हैं, उन्हें देखते हुए आयकर की दरों में तो कमी के कोई आसार नजर नहीं आते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार डीटीसी की कुछ प्रमुख सिफारिशों को आगामी बजट में सुविधानुसार शामिल कर सकती है। डीटीसी में आयकर छूट सीमा 1.8 लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का प्रावधान किया गया है। डीटीसी विधेयक फिलहाल संसद की स्थायी समिति के विचाराधीन है। विधेयक में यह भी प्रस्ताव है कि 30 फीसद व्यक्तिगत आयकर 10 लाख रुपये सालाना आय से अधिक कमाने वालों पर लगाया जाना चाहिए। इस समय यह सीमा 8 लाख रुपये है।

वित्त-मंत्री प्रणव मुखर्जी मार्च मध्य में किसी समय 2012-13 का आम बजट पेश करेंगे। उच्च, मुद्रास्फीति के बीच उद्योग भी आयकर स्लैब बढ़ाने की माँग कर रहे हैं। बहरहाल माना जा रहा है कि सरकार मौजूदा कर दरों को 10, 20 और 30 प्रतिशत के स्तर पर बरकरार रखेगी।

सीआईआई महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने हालाँकि, कहा कि उन्होंने आयकर छूट सीमा को मौजूदा 1.8 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा, 'हमने 2.5 लाख रुपये से 6 लख रुपये की सालाना आय पर 10 फीसद, 6 से 10 लाख रुपये पर 20 फीसद और 10 लाख रुपये से अधिक आय पर 30 फीसद कर *(शेष पृष्ठ 5 पर)*

मई में मैदान पर उतर सकता है युवी : डॉक्टर

नई दिल्ली, 6 फरवरी-(भाषा) अमेरिका में कीमोथेरेपी करा रहे क्रिकेटर युवराज सिंह को फेफड़ों का कैंसर नहीं है, बल्कि उसके फेफड़ों के बीच में दुर्लभ किस्म का ट्यूमर है, जो असाध्य नहीं है और उनके इलाज में शामिल मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों का मानना है कि वह मई के पहले सप्ताह तक मैदान पर उतर सकता है।

युवराज को कैंसर होने का खुलासा होने के बाद से मीडिया में लग रही तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए मैक्स साकेत के डॉक्टर नीतेश रोहतगी ने कहा कि युवराज को कैंसर है, लेकिन यह फेफड़ों का कैंसर नहीं है।

यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहतगी ने कहा, 'युवराज को कैंसर है और फिलहाल वह अमेरिका में कीमोथेरेपी करा रहे हैं। उन्हें फेफड़ों का कैंसर नहीं है, बल्कि यह दुर्लभ किस्म का ट्यूमर है, जिसे 'एक्स्ट्रागोनाडेल सेमिनोमा' कहा जाता है जो दो फेफड़ों के बीच में है। यह असाध्य नहीं है और युवराज के कैरियर पर इसका असर नहीं पड़ेगा।'

युवराज ने जनवरी के दूसरे सप्ताह में डॉक्टर रोहतगी से सलाह ली थी और उसके बाद वह कीमोथेरेपी के लिये अमेरिका चले गए। 9 सप्ताह की कीमोथेरेपी का फिलहाल तीसरा सप्ताह है।

यह पूछने पर कि युवराज कब मैदान पर लौट सकेंगे? डॉक्टर रोहतगी ने बताया, 'कीमोथेरेपी इस तरह से कराई जा रही है कि युवराज पूरी तरह मैच फिट हो सकें। वह 10 सप्ताह में ट्रेनिंग शुरू कर सकेगा। युवराज ने काफी हिम्मत दिखाई है और इसी के दम पर वह मई के पहले सप्ताह में मैदान पर लौट सकता है।' डॉक्टर रोहतगी ने बताया, 'बुधवार को उसकी कीमोथेरेपी का तीसरा सप्ताह शुरू होगा। उपचार के पहले सप्ताह में युवराज *(शेष पृष्ठ 5 पर)*

दिल बड़ा किया राहुल ने

नहीं चाहिए प्रधानमंत्री पद

वाराणसी, 6 फरवरी-(भाषा) कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने आज कहा कि हिन्दुस्तान के 'बड़े' नेताओं के विपरीत उनकी प्रधानमंत्री पद में कोई दिलचस्पी नहीं हैं, उनकी दिलचस्पी उत्तर-प्रदेश में है, जहाँ वह लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं।

राहुल ने यहाँ संवाददाता सम्मेलन में उनके प्रधानमंत्री बनने की सम्भावना पर पूछे गये सवाल पर कहा 'हिन्दुस्तान के बड़े नेताओं की इसमें दिलचस्पी रहती है कि वे प्रधानमंत्री बनें, लेकिन मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी उत्तर-प्रदेश में है जहाँ मैं लगातार चुनाव प्रचार कर रहा हूँ।' उन्होंने कहा 'पद से कुछ नहीं होता, शक्ति जनता में होती है। मेरा मकसद उत्तर-प्रदेश का विकास करना है। राहुल गांधी में कोई शक्ति नहीं है। मैं सिर्फ जनता की आवाज सुनता हूँ और उसे लोकसभा तक ले जाता हूँ। मेरा उत्तर-प्रदेश में प्रगति लाने का मिशन

है। जब तक उत्तर-प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा तब तक राहुल गांधी आपकी झोपड़ियों में किसानों के साथ दिखाई देगा।' उत्तर-प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कामयाबी के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए राहुल ने कहा 'मेरा कहना है कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिये ठोस परिणाम आ रहे हैं। जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ जनता हमसे कह रही है कि यहाँ की सरकारों ने उन्हें 22 साल से बेवकूफ बनाया है।' कांग्रेस सांसद ने कहा कि उत्तर- प्रदेश में कांग्रेस के फिर से खड़े नहीं होने तक वह चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा 'सीधा आँकड़ा है। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाएगी। वह 200 सीटों से भी खड़ी हो जाएगी और 100 सीटों से भी।'

राहुल ने कहा कि आज मेरे पास कहने को सिर्फ इतना ही है कि इस देश के कुछ लोग मुझ पर विश्वास करते हैं और उत्तर-प्रदेश के अगर एक प्रतिशत लोग भी हम पर विश्वास करते हैं तो वह *(शेष पृष्ठ 5 पर)*

एक से काम करेगा एनसीटीसी

नई दिल्ली, 6 फरवरी-(भाषा) देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके आतंकवाद से निपटने में आतंकवाद रोधी सभी उपायों के नियंत्रण एवं समन्वय के लिए राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र (एनसीटीसी) इस साल 1 मार्च से काम करने लगेगा। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि केन्द्र सरकार ने एक आदेश के जरिये एनसीटीसी की स्थापना पर मुहर लगायी है। इसे 'राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र (संगठन, कामकाज, अधिकार एवं कर्त्तव्य) आदेश 2012' नाम दिया गया है।

अधिकारी ने बताया कि एनसीटीसी खुफिया ब्यूरो (आईबी) के तहत आएगा। एक निदेशक इसका प्रमुख होगा और वह आईबी में अतिरिक्त निदेशक रैंक का होगा। एनसीटीसी में आईबी के कार्यरत लोगों या आईबी में सीधे भर्ती हुए लोगों को शामिल किया जाएगा। इसमें रिसर्च एण्ड एनॉलिसिस विंग (रॉ), जेआईसी, सेना खुफिया महानिदेशालय, सीबीडीटी और मादक द्रव्य नियंत्रण ब्यूरो जैसी अन्य एजेंसियों से भी अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि एनसीटीसी के तीन प्रभाग होंगे और हर प्रभाग का प्रमुख आईबी के संयुक्त निदेशक रैंक का अधिकारी होगा। ये प्रभाग खुफिया जानकारी एकत्र करने और उन्हें वितरित करने, विश्लेषण और परिचालन से जुड़े होंगे। अधिकारी ने बताया कि आतंकवाद रोधी सभी कार्रवाइयों का एनसीटीसी समन्वय करेगा। आतंकवाद से जुड़ी खुफिया खबरों के एकीकरण, उनके विश्लेषण और अन्य एजेंसियों को उस पर आगे काम करने के लिए लगाने और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय का काम एनसीटीसी करेगा। उन्होंने बताया कि एनसीटीसी आतंकवादियों का एक व्यापक डाटा बेस तैयार करेगा। उनके सहयोगियों, दोस्तों, परिजनों और समर्थकों, आतंकी मॉड्यूल और गिरोहों के अलावा आतंकवादियों से जुड़ी हर तरह की सूचना एनसीटीसी रखेगा।अधिकारी के मुताबिक, एनसीटीसी सुनिश्चित करेगा कि सभी एजेंसियों को खुफिया समर्थन पूरा मिले, जो आतंकवाद रोधी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिहाज से आवश्यक है। केन्द्र मौजूदा जाँच एवं खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय करेगा, ताकि सभी आतंकवादी मामलों का हल खोजा जा सके और आतंकवादी हमलों की साजिश रचने वालों को दंडित किया जा सके।

उन्होंने बताया कि एनसीटीसी दैनिक आधार पर खतरों का आकलन करेगा और केन्द्र एवं राज्य सरकारों में उचित स्तर पर उन्हें पहुँचाएगा। एनसीटीसी के परिचालन प्रभाग के अधिकारियों को गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून, 1967 के तहत गिरफ्तारी और तलाशी का अधिकार होगा। एनसीटीसी के पास अंतर-राज्यीय खुफिया टीमों के गठन का अधिकार भी होगा।

'मतदान नहीं' का विकल्प विचाराधीन

मुंबई, 6 फरवरी-(भाषा) निर्वाचन आयोग ने आज कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में 'इनमें से कोई नहीं' के विकल्प संबंधी प्रस्ताव अब भी सरकार के पास विचाराधीन है। बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल एक हलफनामे में केन्द्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग ने आज यह जानकारी दी। हलफनामे में कहा गया है कि 'मतदान नहीं' का विकल्प महाराष्ट्र के नगरपालिका और जिला परिषद के चुनावों के दौरान ईवीएम में जोड़ पाना संभव नहीं होगा।

न्यायामूर्ति डी. डी. सिन्हा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका ठाणे के डॉक्टर महेश बेदेकर ने दाखिल की थी। उन्होंने ईवीएम में 'मतदान नहीं' का विकल्प शामिल करने की माँग की है। हलफनामे में निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसने ईवीएम में 'इनमें से कोई नहीं' का विकल्प शामिल करने पर विचार किया था, लेकिन ऐसे प्रावधान के लिए कानून में संशोधन की जरूरत होगी।।

आयोग की ओर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवाशीष चक्रवर्ती ने हलफनामे में कहा, 'निर्वाचन आयोग ने इस संदर्भ में केन्द्रीय कानून मंत्रालस और भारत सरकार को दो पत्र लिखे, ताकि कानून में संशोधन किया जा सके, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया है।'

हलफनामे में कहा गया है, 'जब तक कानून में संशोधन नहीं होता, ईवीएम में 'इनमें से कोई नहीं' विकल्प शामिल करना संभव नहीं है।' बेदेकर की याचिका में कहा गया है कि अगर कोई मतदाता किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं करना चाहता है तो वर्तमान प्रणाली में उसे अलग से फॉर्म भरना पड़ता है और मतदाता का नाम रजिस्टर में दर्ज किया जाता है।